

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफोन 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/3355

दिनांक :- 25/6/2018

→ आदेश :-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.18(35)यूडीडी/सेक्टर प्लान/2015 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा राज्य के विभिन्न निकायों में "Zonal Development Plan" तैयार किये जाने हेतु दिशा निदेशों के बिन्दु संख्या 01 में "Zonal Development Plan" में जल स्रोतों व वन संरक्षण हेतु भूमि आरक्षित किये जाने का उल्लेख है। उक्त आदेशों के तहत जौनल डवलपमेंट प्लान में जल स्रोत यथा नदी, नाले, नहर, तालाब, जोहड़ व वन इत्यादि क्षेत्र राजस्व रिकार्ड अनुसार ही आरक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, अतः उक्त सन्दर्भित आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/3356-62

दिनांक :- 25/6/2018

प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
2. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर।
3. उप नगर नियोजक, अलवर एवं भरतपुर।
4. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
5. आयुक्त/अधिराधी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
6. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

25/6/2018

(आर.के. विजयवर्गीय)
अति. मुख्य नगर नियोजक

[Type text]